न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमाँक /2015 निगरानी निग/3842-II-15

विश्वनाथ पुत्र स्व0 श्री देवान साहू
निवासी पोड़ी , नौगई जिला सिगरौली
(सिगरौली)

------ आवेदक

बनाम

पन्नेलाल पुत्र स्व0 रामनाथ बसोर
निवासी ग्राम पोडी नौगई , तहसील
सिगरौली , जिला सिगरौली ।

----- अनावेदक

दिनांक 27-11-15 को
श्री डी. के. मिश्रा अभिभा.
द्वारा प्रस्तुत।
27-11-15
SO

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता , विरूद्ध आदेश दिनांक 25-8-2015 को उपखण्ड अधिकारी सिगरौली द्वारा पारित किया जो प्रकरण क्र0 12अपील/15-16 में पारित की ।

----0-----

श्रीमान् जी ,

निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

(1)- यह कि, अनावेदक ने एक अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 14-10-81 के आदेश के विरूद्ध यह कहते हुए प्रस्तुत की थी कि , अनावेदक धमकी देने लगे हैं उक्त भूमि मेरे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3841 एवं 3842/दो/2015 **जिला** सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश विश्वनाथ/ गिलसिया	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री व्ही. के. मिश्रा उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब माफ किए जाने के आक्षेपित आदेश दिनांक 21.8.15 के विरूद्ध है। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार सिंगरोली के प्रकरण कमांक 2/अ–46/81–82 में पारित आदेश दिनांक 14.10.81 के विरूद्ध प्रकरण कमांक 3841 में गैरनिगराकार गिलसिया के पति परमू बसोर एवं प्रकरण कमांक 3842 में गैरनिगराकार पन्नेलाल के पिता स्व. रामनाथ ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष दिनांक 5.8.82 को अपील प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण कमांक 85/अपील/81–82 कायम होकर दिनांक 30.3.88 को अदम पैरवी में खारिज हुआ था। अनिुविभागीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.3.88 की प्रति प्रस्तुत कर विद्वान अधिवक्ता ने परमू एवं रामनाथ दोनों के नाम उसमें ऊपर लिखे दिखाए। उन्होंने आगे कहा कि अब, दिनांक 21.8.15 को अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 14.10.81 के बाद से हुआ लम्बी अवधि का विलम्ब यह मान कर माफ कर दिया कि परमू अथवा उनकी पत्नी गिलसिया एवं रामनाथ अथवा उनके पुत्र पन्नेलाल को तहसील के आदेश दिनांक 14.10.81 की जानकारी नहीं थी, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के पुराने प्रकरण कमांक 85/अपील/81–82 में उन्हीं दोनों ने अपील दायर की थी, जो दिनांक 30.3.88 को अदम पैरवी में खारिज हुई थी। इस तर्क के साथ विद्वान अधिवक्ता ने अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.8.15 निरस्त करने हेतु निगरानी ग्राह्य करने का	

निवेदन किया ।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार कर उपलब्ध अभिलेखों की प्रतियों का बारीकी से परिशीलन किया गया, जिसके फलस्वरूप मैं विद्वान अधिवक्ता के ऊपर वर्णित तर्क की अभिलेखीय आधार पर पुष्टि होना प्रथमदृष्ट्या पाता हूँ। साथ ही मैं यह भी पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.8.15 टंकण एवं भाषा की विभिन्न त्रुटियों से युक्त है, यहां तक कि उसमें नायब तहसीलदार के आक्षेपित आदेश की दिनांक भी 14.10.81 की जगह गलती से दिनांक 14.10.86 अंकित हो गया। इन बिन्दुओं के प्रकाश में मैं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 12 एवं 13/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 21.8.15 निरस्त करता हूँ तथा अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश देता हूँ कि वह विलम्ब माफी के बिन्दु के समस्त पहलुओं पर पुनर्विचार करें तथा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन आदि का अवसर देने के बाद नये सिरे से विलम्ब के बिन्दु पर बोलता हुआ एवं त्रुटिरहित आदेश पारित करें। विलम्ब के बिन्दु पर विचार करते समय अनुविभागीय अधिकारी यह भी देखें कि क्या कहीं प्रकरण के गुणदोष प्रथमदृष्ट्या ऐसे तो नहीं है कि उनके महत्व के दृष्टिगत विलम्ब न्यायहित मे मॉफ किया जाना बेहतर होगा। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी न्यायदृष्टांत इत्यादि का संदर्भ लेते हुए योग्य निर्णय पारित करें तथा बोलते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करें।

उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

10.12.15

सदस्य